IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

गुरुग्राम और भिवानी शहर का नगरीकरण, समस्याएं और समाधान

[1]संदीप कुमार, [2]डॉ. सत्यवीर यादव

[1]रिसर्च स्कॉलर, [2]प्रोफ़ेसर, बीएमयू, रोहतक

सार

नगरीकरण परिवर्तन की सरंचनात्मक प्रक्रिया है। यह ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की और लोगो की गतिशीलता या प्रचार से सम्बंधित है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः जनसँख्या आकार, सरंचना और कार्यिक क्षेत्र में होता है। नगरीकरण के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हम नगरीकरण की विभिन विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानेंगे:-

ग्रिफिथ टेलर के शब्दों में,"नगरीय भूगोल नगर के स्थल, विकास, प्रतिरूप और वर्गीकरण को समाहित करता है।

अमेरिकी भूगोलविद हेरोल्ड एम मेयर ने नगरीय भूगोल को नगरीय प्रतिरूपों तथा आन्तरिक एवंम बाह्य नगरीय सम्बन्धो की व्याख्या से सम्बन्ध किया है। उनके अनुसार, "यह उन प्रतिरूपों तथा सम्बन्धों की व्याख्या से सम्बंधित है जो एक और नगरीय क्षेत्रों के भीतर विधमान है और दूसरी और नगरीय क्षेत्रों, उन नगरीय क्षेत्रों जिनकी नगर सेवा करते हैं, के मध्य पाए जाते है।"

रोबर्ट दिनकिंसन ने नगरीय भूगोल के सम्बन्ध में लिखा है की "बाहर व्याप्त क्षेत्रों तथा स्वयं नगरीय क्षेत्र के भीतर, दोनों में उपस्थित प्रादेशिक भिन्नताओं का वैज्ञानिक परीक्षण और व्याख्या करना नगरीय भूगोल की आवश्यक समस्याएं हैं।"।

ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन योजना: गुरुग्राम

ध्वनि प्रदूषण का परिचय: ध्वनि प्रदूषण को आमतौर पर ऊँचे ध्वनि स्तरों के नियमित संपर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें मनुष्यों या अन्य जीवित जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 75 डी बी से कम ध्वनि स्तर जीवित जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, भले ही एक्सपोज़र कितना लम्बा एवंम सुसंगत हो।

ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है:

1.यातायात धवनि

2.औधोगिक शोर

3.निर्माण स्थल

(i) ध्वनि प्रदूषण से प्रबंधन से संबंधित वर्तमान स्थिति

आंकड़ा आवश्यकता का विवरण	**मापने योग्य परिणाम**
जिले में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध ध्वनि माप उपकरणों की संख्या	6 नग (एच एस पी सी बी और यू एल बी)

(ii) अंतराल की पहचान और कार्य योजना

कार्यवाई के बिंदु	**अंतराल और कार्य योजना**	**जिम्मेवार एजेंसी**	**समय रेखा कार्य योजना को पूरा करने के लिए**
1. ध्वनि/शोर स्तर मीटर की उपलब्धता	पर्याप्त शंख्या और जिला प्रशासन के पास शोर स्तर मीटर एच एस पी सी बी / यू एल बी उपलब्ध है।	एच एस पी सी बी / यू एल बी	पहले ही पूरा हो चूका है।
2. परिवेश शोर स्तर निगरानी	यू एल बी निश्चित परिवेशीय शोर स्तर निगरानी स्टेशनों के	एच एस पी सी बी / यू एल बी	31.03.2022

	सम्बन्ध में प्रक्रियाधीन है।		
3. शोर क्षेत्रों में साइन बोर्डों की पर्याप्त संख्या	संवेंदनशील क्षेत्रों में साइन बोर्ड लगाए गए है।	यू एल बी	पहले ही अनुपालन किया जा चुका है।
4. शिकायत प्रणाली निवारण	शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान की गयी है।	एच एस पी सी बी / यू एल बी	पहले ही अनुपालन किया जा चुका है।

ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन योजना:- भिवानी

(i) ध्वनि प्रदूषण से प्रबंधन से संबंधित वर्तमान स्थिति

आंकड़ा आवश्यकता का विवरण	**मापने योग्य परिणाम**
शोर मापने वाले उपकरणों की संख्या विभिन्न जिला एजेंसियों के पास उपलब्ध है।	01 एच एस पी सी बी के साथ

(ii) अंतराल की पहचान और कार्य योजना

कार्यवाई के बिंदु	**अंतराल और कार्य योजना**	**जिम्मेवार एजेंसी**	**समय रेखा कार्य योजना को पूरा करने के लिए**
1. ध्वनि/शोर स्तर मीटर	जिले में एच एस पी सी बी के पास केवल 01 निगरानी किट उपलब्ध है। अन्य के पास उपलब्ध है जैसे:- यू एल बी , ट्रैफिक पुलिस। जिला प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जिला	एम सी भिवानी	पहले ही पूरा हो चूका है।

	प्रशासन के अधीन पर्यावरण प्रकोष्ठ शोर स्तर मीटर उपलब्ध हो।		
2. परिवेश शोर स्तर निगरानी	व्यापक / परिवेश ध्वनि स्तर निगरानी स्टेशनों की स्थापना करनी होगी। इसके लिए विशेष ड्राइव परिवेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों का पालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवासीय , संवेदनशील क्षेत्र, त्योहारों के दौरान एच एस पी सी बी को वायु शोर की भी निगरानी करता है	डी एस पी ट्रैफिक, एस डी एम, एच एस पी सी बी	
3. साइन बोर्ड शोर क्षेत्र	एमसी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई को शहर में साइलेंस जोन, नो हॉर्न जोन और शोर सीमा निर्धारित करने के लिए उचित साइनेज स्थापित करना चाहिए	एम सी एस	
4. शिकायत प्रणाली निवारण	मुख्यमंत्री शिकायत निवारण और हरियाणा निगरानी प्रणाली किसी भी सार्वजनिक शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा जिले में सोशल मिडिया शिकायत ट्रैक (एस एम जी टी) भी काम कर रहा है। जनसम्पर्क एवंम शिकायत निवारण समिति भी जनता की शिकायतों पर काम कर रही है।	डी एस पी ट्रैफिक, एस डी एम, एच एस पी सी बी	नियमित गतिविधि

निष्कर्ष:-

सभी को कवर करते हुए सी पी सी बी के मॉडल जिला पर्यावरण योजना के अनुरूप हितधारक पर्यावरण के मुद्दों को शामिल करते हुए जिला पर्यावरण योजना बनाने का प्रयास किया गया है।ये केवल विचारोंत्तेजक

है लेकिन सम्पूर्ण नहीं है। प्रत्येक हितधारक लक्षय को प्राप्त करने के लिए योजना को सच्चे अक्षर और भावना से लागु करने की आवश्यकता है।

खनन गतिविधि प्रबंधन योजना:-

खनन गतिविधि प्रबंधन का परिचय और औद्योगिक खनन गतिविधि की स्थिति एवंम जिले में प्रबंधन। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी बी) नई दिल्ली ने 2018 के ओ ए संख्या 673 में दिनांक 08.04.2019 के आदेश में पैरा 15 (ix) में उल्लेख किया है की टास्क फ़ोर्स यह सुनिश्चित करेगा कि किसी नदी में कोई अवैध खनन न हो।

हरियाणा सरकार ने वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान के कार्यालय के अंत संख्या 5/1/28-21 बी 11-2005 दिनांक 10.02.2006 के माध्यम से जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स का गठन किया है, जो सूचनाओं की जाँच, संग्रह / समीक्षा करने के लिए है।निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर पर अवैध खनन से सम्बंधित मामले:-

1.	सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	सम्बंधित जिले के पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	सम्बंधित जिले के सहायक खनिज अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	सम्बंधित जिले के जिला वन अधिकारी	सदस्य
5.	सम्बंधित जिले के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी	सदस्य
6.	सम्बंधित जिले के जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य

जिले में रेत के स्त्रोत:-

जिला गुरुग्राम में रेत खनन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन राज्य में रेत का नजदीकी स्त्रोत सोनीपत, करनाल और यमुनानगर आदि में यमुना नदी में क़ानूनी रेत खदानें हैं।

जिले में पत्थर का स्त्रोत

अरावली जिले गुरुग्राम में पत्थर का मुख्य स्त्रोत है, लेकिन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2002 से जिला गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद में खनन प्रतिबंधित है।

(i) खनन गतिविधि प्रबंधन से संबंधित वर्तमान स्थिति:-

क्रमांक	आंकड़ा आवश्यकता का विवरण	मौजूदा खनन कार्य
1.	खनन गतिविधि का प्रकार	शून्य
2.	जिले में लाइसेंस प्राप्त खनन कार्यों की संख्या	शून्य
3.	जिले में खनन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	शून्य
4.	रेत खनन का क्षेत्र	शून्य
5.	पत्थर खनन का क्षेत्र	शून्य

(ii) अंतराल की पहचान और कार्य योजना

कार्यवाई के बिंदु	अंतराल और कार्य योजना	जिम्मेवार एजेंसी	कार्य योजना को पूरा करने के लिए समय रेखा
1. खनन गतिविधि की निगरानी	खनन गतिविधि की पहचान करने के लिए एवंम जिला स्तरीय कार्य दल की पहचान की जा सकती है।	खुदाई विभाग	भविष्य में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायलय जिला गुरुग्राम में खनन की अनुमति देता है तो जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जा चूका है।

2. यदि कोई खनन हो तो अवैध की सूची	अवैध गतिविधि पर नियंत्रण के लिए निगरानी, पैट्रोलिंग प्रवर्तन और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करके पुरे जिले पर निगरानी रखना।	खुदाई विभाग	जिला स्तरीय टास्क फोर्स के तहत समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में पहले ही किया जा चूका है।
3. खनन उद्योग द्वारा पर्यावरण अनुपालन	समय पर किया जाने वाला सत्यापन जो पर्यावरण की अनुकूलता के साथ एस पी सी बी एस / पी सी सी, एम ई एफ और सी सी खनन विभाग अपनी शर्तों के साथ योजना तैयार करते है।इस गतिविधि में एस पी सी बी / पी सी सी भी शामिल हो सकते है।	खुदाई विभाग	नहीं

खनन गतिविधि प्रबंधन योजना:- भिवानी

(i) खनन इकाई का विवरण

खनन का नाम यूनिट/ब्लॉक	**पटटा क्षेत्र हैक्टैर में**	**कुल पटटा समय (वर्ष)**	**LOI की तिथि**	**EC की तिथि**	**खुदाई की शुरुआत**
1.एच एस आई डी सी पंचकुलां, गॉव खानक, तहसील तोशाम, जिला भिवानी	28.00	09	19.06.2015	06.11.2015	------

2. गोवरधन माइंस एंड मिनरल्स डाडम, खानक, भिवानी (पुराना नाम सूंदर मार्केटिंग)	20.18	10	19.06.2015	21.12.2020	------

(ii) खनन गतिविधि प्रबंधन से संबंधित वर्तमान स्थिति:-

क्रमांक	**आंकड़ा आवश्यकता का विवरण**	**मौजूदा खनन कार्य**
1. 2. 3. 4.	खनन गतिविधि का प्रकार लाइसेंस प्राप्त खनन कार्यों की संख्या जिले में खनन के अंतर्गत आने वाला % क्षेत्र रेत खनन का क्षेत्र	पत्थर खनन 02 ना

(iii) अंतराल की पहचान और कार्य योजना

कार्य बिंदु	**अंतराल और कार्य योजना**	**जिम्मेवार एजेंसी**	**कार्य योजना को पूरा करने के लिए समय रेखा**
1. मॉनीटरिन की गतिविधि	विशेष प्रवर्तन दल। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डी एल टी एफ सी) रेत खनन के आसपास बाड़ लगाना।	खनन विभाग	-----
2. . यदि कोई खनन हो तो अवैध की सूची बनाना	जिले में कोई अवैध खनन इकाई नहीं है ।	पर्यावरण एवंम वन मंत्रालय और खनन विभाग	नियमित गतिविधि
3. पर्यावरण द्वारा अनुपालन खनन उद्योग	ऐसी शर्तों पर प्रस्तावित जिला SE, AA, HSPCB में खनन गतिविधियों द्वारा निरिक्षण किया जा रहा है। MOEF/SEIAA, HSPCB	खनन विभाग	नियमित गतिविधि

	और खनन विभाग इनके अलावा 06 EC की मासिक अनुपालन रिपोर्ट से शर्तें ली जा रही है ।		

निष्कर्ष और सिफारिशें:-

जिला गुरुग्राम में अरावली पत्थर का मुख्य स्त्रोत है, लेकिन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार 2002 से जिला गुरुग्राम में खनन प्रतिबंधित है। खनिज की चोरी और अन्य राज्य (राजस्थान और उत्तर प्रदेश) से अवैध खनिज को नियंत्रित करने के लिए खनन एवंम भूविज्ञान विभाग के अधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ-साथ जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के अन्य सदस्यों द्वारा दिन-रत औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

संदर्भ

1. टेलर, जी (1964): नगरीय भूगोल, मैथुनल, लंदन ।
2. एम हेराल्ड मेयर (1954): नगरीय भूगोल में पी ई जेम्स और जे एफ जेम्स (संस्करण), अमेरिकी भूगोल, ऐसी और संभावना: सिरेक्यूज़ विश्वविधालय ।
3. डिकिन्सन रॉबर्ट ई. (1947): नगर, क्षेत्र और क्षेत्रवाद, रुट्जेल और केगल पॉल लिमिटेड, लंदन ।
4. नगर निगम, गुरुग्राम ।
5. शहरी स्थानीय निकाय, भिवानी ।